राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 01/2025

प्रार्थी/सायल	बनाम	अप्रार्थी/गैर सायल
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **लूणवा जागीर**		**अणसीदेवी पत्नी वरीगांराम(वगैरह) जाति विश्नोई निवासी लूणवा चारणान** तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 दिनांकः– 06.10.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का **लूणवा जागीर** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **लूणवा चारणान** के ख.न. **51/48** रकबा **0.2995** हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता(राजकीय भूमि) में से **0.2995 हैक्टैयर** पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायलन् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलन् को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 26.09.2025 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलान् उपस्थित। गैर सायलन् की ओर से अधिवक्ता श्री चिमनसिंह द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाबदावा हेतु समय चाहा गया। गैर सायलन्(गैर सायलान् की ओर नियुक्त अधिवक्ता श्री चिमनसिंह) को सुनवाई अवसर दिया जाकर पत्रावली 06.10.2025 पेश हुई। गैर सायलान् को सुनवाई का बार–बार मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन–तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। गैर सायलान् द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः गैर सायलान् द्वारा कोई ठोस जवाब प्रस्तुत नहीं करने व नियत सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलन् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायलन् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 1.44 का राउण्ड अप 2 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए **100** रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलन् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. रतनपुरा तथा मांग कायमी हेतु तहसील रेवेन्यू लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Solanki
Date: 2025.10.28 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस)
तहसीलदार गुड़ामालानी